"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] रायपुर, बुधवार दिनांक 6 मार्च 2013—फाल्गुन 15, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक 1992/डी. 69/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 05-03-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2013

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा मिम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीगसढ़ विनियोग अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये राज्य की संचित निधि में से 8,86,88,31,200/- रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उन राशियों को सम्मिलित करते हुए आठ सौ छियासी करोड़, अठयासी लाख, इकतीस हजार, दो सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	100	0	100
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	28,90,000	0	28,90,000
10	वन	राजस्व	16,83,00,000	0	16,83,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	44,90,100	0	44,90,100
		पूंजी	600	0	600

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,70,00,00,000	0	4,70,00,00,000
		पूंजी	2,04,00,00,000	0	2,04,00,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,00,000	0	7,00,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	3,36,00,000	0	3,36,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	4,00,00,100	0	4,00,00,100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	100	0	100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	5,45,000	0	5,45,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,00,000	0	1,00,000
36	परिवहन	राजस्व	200	0	200
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,59,43,100	0	1,59,43,100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	45,52,19,200	0	45,52,19,200
		पूंजी	300	0	300
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	38,00,00,000	0	38,00,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	3,00,00,100	0	3,00,00,100
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	पूंजी	45,23,000	0	45,23,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	72,00,000	0	72,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	14,20,00,000	0	14,20,00,000
		पूंजी	50,00,100	0	50,00,100
65	विमानन विभाग	राजस्व	100	0	100
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	22,50,00,000	0	22,50,00,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	58,00,00,000	0	58,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,33,19,000	0	2,33,19,000
	योग -	**राजस्व**	**6,81,93,07,100**	**0**	**6,81,93,07,100**
		पूंजी	**2,04,95,24,100**	**0**	**2,04,95,24,100**
		वृहद योग	**8,86,88,31,200**	**0**	**8,86,88,31,200**

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक 1992/डी. 69/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2013)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2013

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2012-13.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty Fourth year of the Republic of India, as follows :-

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2013. **Short title.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in the column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, amounting in the aggregate to the sums of Eight Hundred Eighty Six Crore Eighty Eight Lacs Thirty One Thousand Two Hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2012-2013 in respect of services specified in column (2) of the Schedule. **Issue of Rs. 8,86,88,31,200/- from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2012-13.**

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purpose expressed in the Schedule in relation to the said year. **Appropriation.**

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and Purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	100	0	100
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department.	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	28,90,000	0	28,90,000
10	Forest	Revenue	16,83,00,000	0	16,83,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue Capital	44,90,100 600	0 0	44,90,100 600
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue Capital	4,70,00,00,000 2,04,00,00,000	0 0	4,70,00,00,000 2,04,00,00,000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	7,00,000	0	7,00,000
15	Financial assistance to three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	3,36,00,000	0	3,36,00,000
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	4,00,00,100	0	4,00,00,100
27	School education	Revenue	100	0	100
28	State Legislature	Revenue	5,45,000	0	5,45,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	1,00,000	0	1,00,000
36	Transport	Revenue	200	0	200
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue	1,59,43,100	0	1,59,43,100
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	45,52,19,200 300	0 0	45,52,19,200 300
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue	38,00,00,000	0	38,00,00,000
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	3,00,00,100	0	3,00,00,100
48	Grant Under Thirteenth Finance Commission.	Capital	45,23,000	0	45,23,000
49	Expenditure pertaining to Scheduled Caste Welfare.	Revenue	72,00,000	0	72,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue Capital	14,20,00,000 50,00,100	0 0	14,20,00,000 50,00,100

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
65	Aviation Department	Revenue	100	0	100
71	Information Technology and Bio Technology.	Revenue	22,50,00,000	0	22,50,00,000
75	NABARD aided Projects pertaining to Water Resources Department.	Capital	100	0	100
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	58,00,00,000	0	58,00,00,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	2,33,19,000	0	2,33,19,000
		Total Revenue	**6,81,93,07,100**	**0**	**6,81,93,07,100**
		Capital	**2,04,95,24,100**	**0**	**2,04,95,24,100**
		Grand Total	**8,86,88,31,200**	**0**	**8,86,88,31,200**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.